रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122025-268276
CG-DL-E-05122025-268276

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5459] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2025/अग्रहायण 14, 1947
No. 5459] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2025/AGRAHAYANA 14, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5647(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को पंजाब राज्य में यथा प्रवृत, पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का पंजाब अधिनियम संख्या 12) का निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में विस्तार करती है, अर्थात:-

संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में विस्तारित पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2025 में,—

1. "राज्य सरकार" शब्द जहाँ-जहाँ वे आते हैं, के स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़" शब्द रखे जायेंगे।
2. "पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2025" शब्द, कोष्ठक और अंक जहाँ-जहाँ वे आते हैं, के पूर्व "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में यथा विस्तारित" शब्द अंतस्थापित किये जायेंगे।

[फा. सं. यू -11036/6/2025-यूटीएल (भाग–I)]
प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

हज़ार रुपये से अन्यून और पच्चीस हज़ार रुपये से अनधिक होगा और द्वितीय अपराध के लिए पाँच हज़ार रुपये से अन्यून और पचास हज़ार रुपये से अनधिक होगा।

और यदि कोई पश्चातवर्ती अपराध जारी रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी प्रति दिन एक हज़ार रुपये की दर से जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण: "द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराध" से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो पूर्व में किये गये उसी प्रकार के अपराध की तारीख से तीन माह की अवधि के बाद किया गया हो और यदि कोई अपराध पूर्व में किये गये किसी अपराध के एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद किया जाता है, तो उसे प्रथम अपराध माना जाएगा।"

1958 के पंजाब अधिनियम 15, की धारा 7 में संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 7 में –

(i) उपधारा (1) में, "नौ घंटे" शब्दों के स्थान पर "दस घंटे" शब्द रखे जाएंगे; और

(ii) उपधारा (2) के परन्तुक के खंड (क) में, "पचास" शब्द के स्थान पर "एक सौ चवालीस" शब्द रखे जाएंगे।

1958 के पंजाब अधिनियम 15, की धारा 8 में संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में, "दस घंटे" शब्दों के स्थान पर "बारह घंटे" शब्द रखे जाएंगे।

1958 के पंजाब अधिनियम 15, की धारा 13 का प्रतिस्थापन

6. मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:

"13. (1) पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ की तारीख से, बीस या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोजक अपने कारबार के प्रारंभ की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक एसे प्रारूप और ऐसी फीस के साथ ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(3) निरीक्षक, उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्रतिष्ठान को रजिस्टर करेगा और नियोजक को यथा विहित अवधि के लिए, यथा विहित प्ररूप में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो आवेदन प्राप्त होने की तारीख से चौबीस घंटे के भीतर जारी किया जाएगा। यदि निरीक्षक द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से चौबीस घंटे की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है, तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इस अधिनियम के अधीन प्रदान किया गया माना जाएगा।

(4) निरीक्षक ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए प्रतिष्ठानों का एक रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा।

(5) नियोजक द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रतिष्ठान में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

(6) नियोजक उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत आवेदन प्ररूप में दी गई किन्ही विशिष्टियों में परिवर्तन होने की दशा में, ऐसे परिवर्तन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, निरीक्षक को इसकी सूचना देगा। निरीक्षक, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन करेगा या नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(7) नियोजक, प्रतिष्ठान के बंद होने की दशा में, बंद होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निरीक्षक को ऐसे बंद किये जाने की सूचना देगा और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करेगा।"

7. मूल अधिनियम में, धारा 13 के बाद निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

1958 के पंजाब अधिनियम 15, में धारा 13-क का अन्तःस्थापन

"13-क. कारबार की सूचना

बीस से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोजक पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर या अपने कारबार के प्रारंभ की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर, निरीक्षक को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अपने कारबार की सूचना देगा। निरीक्षक, नियोजक द्वारा प्रस्तुत की गई विशिष्टियों को एक ऐसे रजिस्टर में, जो विहित किया जाए, अभिलिखित करेगा।

परन्तु, यदि किसी भी समय प्रतिष्ठान में नियोजित श्रमिकों की संख्या बीस या अधिक हो जाती है, तो इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू होंगे और ऐसे प्रतिष्ठान का नियोजक धारा 13 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।"

8. मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:

1958 के पंजाब अधिनियम 15, की धारा 21 में संशोधन

"(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है या निरीक्षण प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग में जानबूझकर बाधा पहुँचाता है या किसी प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी को प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने या निरिक्षण कराए जाने से छिपाता या रोकता है, वह दोष सिद्ध होने पर ऐसे जुर्माने के लिए दायी होगा जो प्रथम अपराध के लिए एक हज़ार रुपये से अन्यून और दस हज़ार रुपये से अनधिक होगा और द्वितीय अपराध के लिए तीन हज़ार रुपये से अन्यून और पचास हज़ार रुपये से अनधिक होगा। यदि कोई पश्चातवर्ती अपराध जारी रहता है, तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी प्रति दिन पाँच सौ रुपये की दर से जुर्माना लगा सकेगा।

स्पष्टीकरण: - "द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत हो जो पूर्व में किये गए अपराध की तारीख से तीन माह की अवधि के बाद किया गया हो। यदि कोई अपराध पूर्व में किये गये किसी आपराध के एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद किया जाता है, तो उसे प्रथम अपराध माना जाएगा।"

9. मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:

"26. शास्ति

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है और ऐसे उल्लंघन के लिए इस अधिनियम में किसी शास्ति का कोई उपबंध नहीं किया गया है, तो वह दोष सिद्ध होने पर ऐसे जुर्माने का संदाय करने के लिए दायी होगा जो प्रथम अपराध के लिए पाँच सौ रुपये से अन्यून और दो हज़ार रुपये से अनधिक होगा और किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए तीन हज़ार रुपये से अन्यून और तीस हज़ार रुपये से अनधिक होगा, यदि कोई पश्चातवर्ती अपराध जारी रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी प्रति दिन पाँच सौ रुपये की दर से जुर्माना लगा सकेगा।

स्पष्टीकरण: "द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है, जो पूर्व में किये गये वैसे ही अपराध की तारीख से तीन महीने की अवधि के बाद किया गया हो और यदि कोई अपराध, पूर्व में किये गये अपराध के एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद किया जाता है, तो उसे प्रथम अपराध माना जाएगा।"

10. मूल अधिनियम में, धारा 26 के बाद निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: 1958 के पंजाब अधिनियम 15, में धारा 26-क का अन्तःस्थापन

अपराधों का शमन

"26-क(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शमन, ऐसी रकम और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किये जाने के लिए किसी व्यक्ति को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सक्षम पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, किसी व्यक्ति को मामले में सुनवाई किये जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, और ऐसी जाँच के पश्चात, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने उल्लंघन किया है या धारा 6, धारा 20, धारा 21 और धारा 26 के उपबंधों या उनके अधीन बनाये गए नियमों या उनके अधीन जारी किए गये आदेश का पालन नहीं किया है, ऐसी फीस के संयोजन को अधिरोपित कर सकेगा जो इन धाराओं के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम जुर्माने से अनधिक होगा।

(2) जहाँ किसी अपराध का शमन उपधारा (1) के अधीन कर लिया गया है, वहाँ ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।"

11. मूल अधिनियम में संलग्न अनुसूची का लोप किया जाएगा। अनुसूची का लोप

हस्ताक्षरित /-

देविंदर कुमार गुप्ता
कानूनी स्मरणार्थी,
विधिक एवं विधायी कार्य विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2025

S.O. 5647(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2025 (Punjab Act No. 12 of 2025), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:−

In the Punjab Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2025 so extended to the Union territory of Chandigarh, −

(i) for the words "State Government" wherever they occur, the words "Union territory of Chandigarh" shall be substituted;

(ii) after the words, brackets and figures "the Punjab Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2025" wherever they occur, the words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.

[F. No. U-11036/6/2025-UTL(Part-I)]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

PART I
GOVERNMENT OF PUNJAB
DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB

NOTIFICATION

The 28th August, 2025

No. 13-Leg./2025.-The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the Governor of Punjab on the 06th day of August, 2025, is hereby published for general information:-

THE PUNJAB SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) ACT, 2025

(Punjab Act No.12 of 2025)

AN

ACT

further to amend the Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958.

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Punjab Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force on and with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment in section 1 of Punjab Act 15 of 1958.

2. In the Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 1, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(4) The provisions of this Act shall apply to the shops and establishments employing twenty or more workers, whereas to shops and establishments employing less than twenty workers only section 13-A shall be applicable:

Provided that whenever number of workers in any shop or establishment, with less than twenty workers, becomes twenty or more, the provisions of this Act shall become applicable."

Amendment in section 6 of Punjab Act 15 of 1958.

3. In the principal Act, in section 6, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(4) In the case of any contravention of, or failure to comply with, the provisions of this section, the employer shall be liable, on conviction, to pay fine, to be imposed by the competent authority as notified by the State Government, which shall not be less than one thousand rupees and not more than twenty-five thousand rupees for the first offence and not less than five thousand rupees and not more than fifty thousand rupees for the second offence and may impose fine at the rate of rupees one thousand for each day if any subsequent offence continues.

Explanation.-Second and subsequent offence means the offence committed after a period of three months from the date on which a similar offence was committed earlier and an offence committed after a duration of more than one year of the earlier offence shall be considered as first offence."

Amendment in section 7 of Punjab Act 15 of 1958.

4. In the principal Act, in section 7,-

(i) in sub-section (1), for the words "nine hours", the words "ten hours" shall be substituted; and

(ii) in sub-section (2), in the proviso, in clause (a), for the word "fifty", the words "one hundred forty-four" shall be substituted.

Amendment in section 8 of Punjab Act 15 of 1958.

5. In the principal Act, in section 8, in sub-section (2), for the words "ten hours", the words "twelve hours" shall be substituted.

Substitution of section 13 of Punjab Act 15 of 1958.

6. In the principal Act, for section 13, the following section shall be substituted, namely:-

"13.(1) On and with effect from the date of commencement of the Punjab Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2025, the employer of every establishment employing twenty or more workers shall, within a period of six months form the date of commencement of his business, apply for registration and obtain registration certificate.

Registration of establishments

(2) Every application for registration under sub-section (1) shall be made in such form and in such manner together with such fee, as may be prescribed.

(3) The Inspector shall, on receipt of an application under sub-section (2), register the establishment and issue a registration certificate to the employer, for a duration as prescribed, within twenty-four hours in such form, as may be prescribed. If the registration certificate is not issued by the Inspector within a period of twenty-four hours from the date of receipt of application, the registration certificate shall be deemed to have been granted under this Act.

(4) The Inspector shall maintain a register of establishments, in such form, as may be prescribed.

(5) The registration certificate shall be prominently displayed in the establishment by the employer.

(6) The employer shall give intimation to the Inspector, of any change in any of the particulars furnished in the application form submitted under sub-section (2) together with such fee as may be prescribed, within a period of thirty days of such change. The Inspector shall, on receipt of such intimation, amend the registration certificate or issue a fresh registration certificate.

(7) The employer shall, within a period of thirty days of the closure of the establishment, give intimation of such closure to the

Inspector and on receipt of such intimation, the Inspector shall cancel the registration certificate."

Insertion of section 13-A in Punjab Act 15 of 1958.

7. In the principal Act, after section 13, the following section shall be inserted, namely:-

"13-A. Employer of every establishment employing less than twenty Workers shall, within a period of six months from the date of commencement of the Punjab Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2025, or within a period six months from the date of commencement of his business, give intimation of his business to the Inspector in such form, as may be prescribed. The Inspector shall record the particulars furnished by the employer in such register, as may be prescribed:

Intimation of Business.

Provided that if at any point of time, the number of workers engaged in the establishment become twenty or more, then all the provisions of this Act shall apply to such establishment and the employer of such establishment shall apply for registration and obtain a registration certificate as per the provisions of section 13."

Amendment in section 21 of Punjab Act 15 of 1958.

8. In the principal Act, in section 21, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) or willfully obstructs the inspecting authority in the exercise of the powers under this Act or conceals or prevents any employee in an establishment from appearing before or being examined by the authority, shall be liable, on conviction, to pay fine which shall not be less than one thousand rupees and not more than ten thousand rupees for the first offence and not less than three thousand rupees and not more than fifty thousand rupees for the second offence. The competent authority as notified by the State Government may impose fine at the rate of five hundred rupees for each day if any subsequent offence continues.

Explanation.- Second and subsequent offence means the offence committed after a period of three months from the date on which a similar offence was committed earlier and an offence committed after a duration of more than one year of the earlier offence shall be considered as first offence."

Substitution of section 26 of Punjab Act 15 of 1958.

9. In the principal Act, for section 26, the following section shall be substituted, namely:-

"26. Subject to the other provisions of this Act, whoever contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder and no penalty has been provided for such contravention in this Act, shall be liable, on conviction, to pay fine which not be less than five hundred rupees and not more than two thousand rupees for the first offence and not less than three thousand rupees and not more than thirty thousand rupees for any subsequent offence. Competent authority may impose fine at the rate of five hundred rupees for each day if subsequent offence continues.

Penalties.

Explanation.-Second and subsequent offence means the offence committed after a period of three months from the date on which a similar offence was committed earlier and an offence committed after a duration of more than one year of the earlier offence shall be considered as first offence."

Insertion of section 26-A in Punjab Act 15 of 1958.

10. In the principal Act, after section 26, the following section shall be inserted, namely:-

Compounding of offence.

"26-A. (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint any person as competent authority to compound the offences under this Act for such amount and in such manner, as may be prescribed:

Provided that the competent authority may, after giving the person a reasonable opportunity of being heard in the matter, and if, on such inquiry, is satisfied that the person concerned has contravened or has not complied with any of the provisions of sections 6, 20, 21 and 26, or the rules made thereunder or order issued thereunder, impose such composition fee which shall not exceed maximum fine specified under these sections.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence."

Omission of Schedule.

11. In the Principal Act, the Schedule appended thereto shall be omitted.

Sd/-
DEVINDER KUMAR GUPTA,
Legal Remembrancer,
Department of Legal and Legislative Affairs.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.